**संख्या-14/2019/211/22-4-19-48(72)/18**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 05 मार्च, 2019

विषय- प्रदेश की 51 कारागारों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा 52 कारागारों में इलेक्ट्रानिक सायरन की व्यवस्था किये जाने हेतु क्रयानुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4519/आधु0-01/पीए सिस्टम/हूटर/2019, दिनांक 20.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर महानिरीक्षक कारागार(प्र0/वि0) कारागार मुख्यालय की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दिनांक 05.02.2019 में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार प्रदेश की 51 कारागारों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा 52 कारागारों में इलेक्ट्रानिक सायरन की व्यवस्था किये जाने हेतु मैसर्स एस0टी0एन0 टेलीवीजन नेटवर्क, रूद्रपुर, उत्तराखण्ड के पक्ष में रू0 1,91,80,000/-(रूपये एक करोड़ इक्यान्नवे लाख अस्सी हजार मात्र) से 51 में पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा 52 कारागारों में इलेक्ट्रानिक सायरन की आपूर्ति, स्थापना तथा कमीशनिंग के समस्त कार्य कराये जाने के लिए गठित क्रय समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

| क्र0 | कार्य मद | मैसर्स एस0टी0एन0 टेलीवीजन नेटवर्क, रूद्रपुर, उत्तराखण्ड |
|---|---|---|
| 1 | प्रदेश की 51 कारागारों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा 52 कारागारों में इलेक्ट्रानिक सायरन की व्यवस्था | रू0 1,91,80,000/- |
| | उपकरणों की कुल लागत का योग | रू0 1,91,80,000/- |

क- प्रश्नगत क्रय शासन की क्रयानीति, सामग्रीक्रय नियमों/विनियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों यथा शासनादेश सं0-2177/एल/18-7-151(एस.पी)/82, दि0-17.10.94 एवं शासनादेश सं0-344/18-5-2003-76(एस.पी)/86, दिनांक 10.03.03 का पूर्ण अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ख- प्रश्नगत उपकरण का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

ग- क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनतम मूल्य दर, समयबद्ध आपूर्ति और उसका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

घ- आपूर्तिकर्ता फर्मों एवं महानिरीक्षक कारागार के मध्य क्रय से पूर्व सम्यक् अनुबन्ध किया जायेगा।

ड.- क्रय की गयी सामग्री का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपयोग की वित्तीय/भौतिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

च- क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-**14**/2019/211(1)/22-4-2019-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in